जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2011 को समाहरणालय के सभा कक्ष में 10:00 बजे पूर्वाहन आयोजित राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

01. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

02. महादलित :–

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों [illegible] गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1760 वास रहित परिवारों को जमीन की बन्दोबस्ती कर, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा के तहत साथ ही 87 परिवारों को क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर अच्छादित कर दिया गया है शेष तारापुर अंचल में 02 एवं क्रयनीति के तहत जमालपुर अचल में 13 महादलित परिवार, बरियारपुर में 10, खड़गपुर में 64 परिवारों को रैयती भूमि क्रयकर बसाने हेतु लम्बित है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया है कि माह के अन्त तक बन्दोबस्ती की कारवायी कर प्रस्ताव भेजें।

गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि बचे हुए महादलित परिवारों जो पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के क्रम में छूट गये थे, का पुनरीक्षित सर्वेक्षण कर प्रपत्र 01 एवं 02 में भरकर जिला राजस्व कार्यालय में समर्पित करेंगें साथ ही प्रपत्र 01 एवं 02 की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला राजस्व कार्यालय में अधियाचना देंगे। परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा प्रपत्र 01 एवं 02 नहीं समर्पित किया गया।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्त्तमान माह जून के अन्त तक पुनरीक्षित सर्वेक्षण [illegible] 01 एवं 02 दें अन्यथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगें की उनके क्षेतान्तर्गत कोई भी महादलित परिवार छूटा हुआ नहीं है, यदि किसी भी अंचल से महादलित परिवारों छूटने के संबंध में शिकायत/सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित अचल अधिकारी के विरूद्ध विधिसम्मत कारवाई की जायगी।

03. भू–लगान :–

भू–लगान से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंचलवार समीक्षा की गयी समिक्षा के क्रम में पाया गया की अंचल अधिकारी, संग्रामपुर एवं टेटियाबम्बर द्वारा मात्र 3–4 प्रतिशत की वसूली की गई है, जो चिंतनीय है। अंचल अधिकारी, संग्रामपुर एवं टेटियाबम्बर के अतिरिक्त सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि चालू माह में भू–लगान की वसूली 12 प्रतिशत करेंगें।

04. सैरात :–

सैरात बसूली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह – मई 2011 तक कुल 461996 रू0 की वसूली हुई है। सैरात के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि सभी सैरातों का सैरातवार सूची तैयार माँग एवं वसूली प्रतिवेदन तैयार करेंगें एवं बकायादारों/बन्दोबस्त धारको को वसूली की कार्रवाई करेंगें। देनदार द्वारा नहीं देने की स्थिति में उनके विरूद्ध निलाम–पत्र की कार्रवाई करेंगें। अंचल अधिकारी खड़गपुर

द्वारा बताया गया की कुल तेरह सौरातों को परता घोषित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी खड़गपुर के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अंचल पदाधिकारी खड़गपुर द्वारा बताया गया कि दरियापुर हाट की बंदोबस्ती विगत तीन वर्षों से नहीं हो रही है। सुरक्षित जमा अधिक हो जाने के कारण बंदोबस्ती नहीं हो रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि विभागीय वसूली के आधार पर सुरक्षित जमा निर्धारण की कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित हाट की बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाय। अनुमंडल पदाधिकारी खड़गपुर को निदेश दिया गया कि 13 सैरातों को विभागीय निदेश के आलोक में परता घोषित करने हेतु अभिलेख शीध्र जिला राजस्व शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

अंचल अधिकारी, बरियारपुर को निदेश दिया गया की विघटित कृषि बाजार समिति की हाट की बन्दोबस्ती करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही सुरक्षित जमा निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव अतिशीध्र भेजेगें।

अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उक्त हाट के सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, सदर से प्राप्त हुआ है, जमा निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है।

05. दाखिल खारिज :–

दाखिल खारिज से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार की गई समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह – मई, 2011 तक 485 वादो का निष्पादन हुआ है साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन–पत्र/दस्तावेज सीधे राजस्व कर्मचारी प्राप्त नहीं करेंगें बल्कि आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त करेंगें। संबंधित लिपिक राजस्व शिविर में जाकर भी आवेदन–पत्र प्राप्त करेंगें। वे इसके लिए एक पंजी का संधारण करेंगें। आवेदन–पत्र प्राप्ति के पश्चात् अभिलेख खोलकर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगें तत्पश्चात् विभागीय निदेशानुसार निष्पादन करेंगें।

06. विधालय भवन हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता :–

सभी अंचल अधिकारियों को नवसृजित विधालयों की सूची को हस्तगत् कराते हुए निदेशित किया गया कि एक महिने में अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत 5–5 नवसृजित भूमिहीन विधालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में संबंधित पंचायत के मुखिया से सर्म्पक कर कार्रवाई करेंगें। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होता है और कोई व्यक्ति भूमि दान में देना चाहते हैं तो विधिवत प्रस्ताव तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला राजस्व शाखा को भेजेंगें।

07. भूदान :–

भूदान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टेटियाबम्बर अंचल में 13.82 एकड़, तारापुर में 26.93 एकड़ एवं असरगंज में 126.66 एकड़ जमीन वितरण हेतु लम्बित है, संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अविलम्ब भूमि का वितरण करना सुनिश्चित करेंगें।

08. जनशिकायत :–

जनशिकायत से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार से संबंधित अनुमंडल सदर–01, तारापुर अनुमंडल–03, सदर अंचल–01, तारापुर अंचल–02, एवं संग्रामपुर अंचल–01 मामला लंबित है। मुख्य सचिव जनता दरबार से संबंधित सदर अंचल–01, संग्रामपुर अंचल–01, तथा जिला जनता दरबार से संबंधित सदर अंचल–216, जमालपुर–171, धरहरा–116, बरियारपुर–145, ह0खड़गपुर–48, टेटियाबम्बर–18, तारापुर–63, असरगंज–07, एवं संग्रामपुर अंचल में 26 मामले लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त मामलों का शीघ्र निष्पादन करेंगें तथा जनशिकायत से संबंधित सूची भेजेंगें।

09. सम्पर्क सड़क :–

सम्पर्क सड़क से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल अधिकारी, सदर–01, जमालपुर– 05, टेटियाबम्बर–01 एवं संग्रामपुर अंचल–01 सम्पर्क सड़क हेतु लंम्बित है। संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सम्पर्क सड़क योजना के तहत् यदि भू–अर्जन से संबंधित यदि मामला आता है तो प्रस्ताव बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

10. लोक भू–अतिक्रमण :–

लोक भू–अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर अंचल–09, बरियारपुर–03 तारापुर–06, असरगंज–02 एवं संग्रामपुर–02 मामले लंवित है संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि लंबित मामलों का अतिशीघ्र निष्पादन करेंगें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाई समाप्त की गई।

ह0/–
समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 385/रा0, दिनांक 24.06.2011,

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी/कार्यालय मंत्री, भूदान यज्ञ कमिटि, मुंगेर/जिला भू–अर्जन पदा0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/06/11
समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 385/रा0, दिनांक 24.06.2011,

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सेवा में सादर सूचनार्थ।

23/06/11
समाहर्त्ता,
मुंगेर।